



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2466]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 8, 2010/अग्रहायण 17, 1932

No. 2466]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 8, 2010/AGRAHAYANA 17, 1932

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर, 2010

का.आ. 2904(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 10 के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29)की धारा 12 की उप-धारा (1) के खंड (ख) और धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1174(अ), तारीख 18 जुलाई, 2007 में निम्नलिखित और संशोधन करती है अर्थात् :—

2. उक्त अधिसूचना की सारणी में,—

- (i) क्रम संख्यांक 34 के सामने स्तंभ (3) में, क्रम सं. (2) और (3) की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—
“(2) श्रीमती ललिता रमन (3) श्री जे. कालीदासा”;
- (ii) क्रम संख्यांक 55 के सामने, (क) स्तंभ 2 में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—
“मैसर्स अनाकोन लैबोरेट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, एफ. पी. 34-35, फूड पार्क एम. आई. डी. सी., बूटिबोरी, नागपुर-440001”;
- (iii) क्रम संख्यांक 56 के सामने स्तंभ 3 में, क्रम सं. (3) में विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—
“(3) श्री एस. के. शर्मा I”;
- (iv) क्रम संख्यांक 66 के सामने स्तंभ 3 में, क्रम सं. (1) में विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—
“(1) डा. पी. मुरलीकन्न I”;
- (v) क्रम संख्यांक 73 के सामने स्तंभ 2 में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—
“मैसर्स कंकेबी माइक्रो टेस्टिंग लैब्स प्राइवेट लिमिटेड, डी. नं. 3-5-244, द्वितीय तल, तरुण प्लाजा एनएफसी मेन रोड, कृष्णा नगर कॉलोनी, मौला अली, हैदराबाद-500040”।

[फा. सं. क्यू-15018/7/2003-सीपीडब्ल्यू]

रजनीश दुबे, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण में संख्याक का.आ. 1174(अ), तारीख 18 जुलाई, 2007 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् अधिसूचना सं. का.आ. 1539(अ), तारीख 13 सितम्बर, 2007, का.आ. 1811(अ), तारीख 24 अक्टूबर, 2007, का.आ. 55(अ), तारीख 9 जनवरी, 2008, का.आ. 428(अ), तारीख 4 मार्च, 2008, का.आ. 865(अ), तारीख 11 अप्रैल, 2008, का.आ. 1894(अ), तारीख 31 जुलाई, 2008, का.आ. 2728(अ), तारीख 25 नवम्बर 2008, का.आ. 1356(अ), तारीख 27 मई, 2009, का.आ. 1802(अ), तारीख 22 जुलाई, 2009, का.आ. 2399(अ), तारीख 18 सितम्बर, 2009, का.आ. 3122(अ), तारीख 7 दिसम्बर, 2009, का.आ. 3123(अ), तारीख 7 दिसम्बर, 2009, का.आ. 142(अ), तारीख 21 जनवरी, 2010, का.आ. 619(अ), तारीख 19 मार्च, 2010, का.आ. 1662(अ), तारीख 13 जुलाई, 2010, का.आ. 2390(अ), तारीख 30 सितम्बर, 2010 द्वारा संशोधन किए गए।

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th December, 2010

S.O. 2904(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 12 and section 13 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with rule 10 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests, number S.O. 1174(E), dated the 18th July, 2007, namely :—

2. In the Table to the said notification,—

- (i) against serial No. 34, in column No. 3, for the existing entries at No. (2) and (3) the following entries shall be substituted, namely :—
“(2) Ms. Lalitha Raman (3) Shri J. Kalidoss”;
- (ii) against serial No. 55, in column No. 2, for the existing entry, the following entries shall be substituted, namely :—
“M/s. Anacon Laboratories Pvt. Ltd., FP-34-35, Food Park MIDC, Butibori, Nagpur-440001”;
- (iii) against serial No. 56, in column No. 3, for the existing entry at No. (3), the following entry shall be substituted, namely :—
“(3) Mr. S.K. Sharma”;
- (iv) against serial No. 66, in column No. 3, for the existing entry at No. (1), the following entry shall be substituted, namely :—
“(1) Dr. P. Murlikkannan”;
- (v) against serial No. 73, in column No. 2, for the existing entry, the following entries shall be substituted, namely :—
“M/s. KKB Micro Testing Labs Pvt. Ltd., D.No. 3-5-244, 2nd Floor, Tarun Plaza NFC Main Road, Krishna Nagar Colony, Moula Ali, Hyderabad-500040”.

[F. No. Q-15018/7/2003-CPW]

RAJNEESH DUBE, Jt. Secy.

Note:— The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* number S.O. 1174(E), dated the 18th July, 2007 and subsequently amended *vide* notification numbers S.O. 1539(E), dated the 13th September, 2007, S.O. 1811(E), dated the 24th October, 2007, S.O. 55(E), dated, 9th January, 2008, S.O. 428 (E), dated the 4th March, 2008, S.O. 865(E), dated the 11th April, 2008, S.O. 1894(E), dated the 31st July, 2008, S.O. 2728(E), dated the 25th November, 2008, S.O. 1356(E), dated the 27th May, 2009, S.O. No.1802(E), dated the 22nd July, 2009, S.O. 2399(E), dated the 18th September, 2009, S.O. 3122(E), dated the 7th December, 2009, S.O. 3123(E), dated the 7th December, 2009, S.O. 142(E), dated the 21st January, 2010, S.O. 619(E), dated the 19th March, 2010, S.O. 1662(E), dated the 13th July, 2010 and S.O. 2390(E), dated the 30th September, 2010.